मा0 विधान सभा प्रश्न

संख्याः–वि0प्र–27 /आठ–8–2023–14वि0स0/2023

प्रेषक,

किशलय सिंह
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आवास बन्धु
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊ : दिनांकः 31 जुलाई, 2023

विषयः मा0 विधान सभा के द्वितीय सत्र–2023 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री अतुल प्रधान, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा गया, **अतारांकित प्रश्न संख्या–156** के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–वि0स0–25/आठ–8–2023–14वि0सि0/2023 दिनांक 27.07.2023(प्रति संलग्न) का अवलोकन एवं अपने पत्र संख्या–9757/1724/आ.ब.–11/वि.स.प्र./2023 दिनांक 31.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–156 के संबंध में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आवास प्राधिकरणों से सूचना संकलित कर आज ही विशेष वाहक अथवा आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 की ई–मेल आई0डी0 (awas8.sahari@ gmail.com) पर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(किशलय सिंह)
अनुसचिव

RS-Q-GO

आलेख्य

आ0/ 27.7.23

आ0 27/07/23

मा0 विधान सभा प्रश्न

संख्याः– वि0 248-25 /आठ–8–2023–14वि0स0/2023

प्रेषक,

किशलय सिंह
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
   आवास बन्धु
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
   नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊ : दिनांकः 27 जुलाई, 2023

विषयः मा0 विधान सभा के द्वितीय सत्र–2023 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री अतुल प्रधान, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा गया, **अतारांकित प्रश्न संख्या–156** के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री अरूण कुमार मैसी, अनुभाग अधिकारी, विधान सभा सचिवालय (प्रश्न अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन का पत्र दिनांक 15.05.2023(प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. मा0 विधान सभा के द्वितीय सत्र–2023 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री अतुल प्रधान, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा गया, **अतारांकित प्रश्न संख्या–156** निम्नवत पूछा गया हैः–

156 –क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आवास प्राधिकरणों में विकसित अवैध कालोनियों को सरकार ने चिन्हित किया है?
यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि किन–किन अवैध कालोनियों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है तथा कौन सी शेष है?
क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी?
यदि नहीं, तो क्यों?

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–156 के संबंध में उत्तरालेख्य/अनुपूरक सामग्री सहित आज ही विशेष वाहक अथवा आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 की ई–मेल आई0डी0 (awas8.sahari@ gmail.com) पर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

27.07.2023

भवदीय,

(किशलय सिंह)
अनुसचिव

o/c

RS-Q-GO